मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा ववच्छिन्नतानिवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1989

1.संक्षिप्त नाम
2.मध्यप्रदेश अधिननयम क्रमांक 10 सन् 1979 का अस्थायी रूप से संशोधित ककया जाना3.अनुसूची का संशोिन

मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा ववच्छिन्नतानिवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1989

(क्र० 4 सन 1989)

(मध्यप्रदेश राजपव (असाधारण) में ददनांक 15 नवम्बर, 1989 को प्रथम बार प्रकाशशत ।]

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापपत ककया गया ।

मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा ववच्छिन्नता ननवारण अधधननयम, 1979 को औरसंशोधधत करने हेतु अध्यादेश ।

अत: राज्य के पविान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधानहो गया है कक ऐसी पररस्स्थनतयााँ पवद्यमान हैं स्जनके कारण यह आवश्यक हो गया है कक वे तत्कालकायषवाही करें ।

अतएव, भारत के संपविान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शस्ततयों को प्रयोग मेंलाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल ननम्नशलखखत अध्यादेश प्रख्यापपत करते हैं-

1. संक्षिप्त नाम-इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथापवस्च्छन्नता ननवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1989 है ।

2. मध्यप्रदेश अधधननयम क्रमांक 10 सन् 1979 का अस्थायी रूप से संशोधधत ककया जाना-इस अध्यादेश के प्रवनतषत रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथापवस्च्छन्नता ननवारण अधिननयम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) (जो इसमे इसके पश्चात् मूलअधिननयम के नाम से ननददष्ट है) । धारा 3 में पवननददष्ट संशोधन के अध्यीन रहते हुए प्रभावीरहेगा ।

3. अनुसूची का संशोधन -मूल अधिननयम की अनुसूची में, भाग ख के पश्चात्,ननम्नशलखखत भाग अन्तःस्थापपत ककया जाए, अथाषत्-

'ग-संसद् के या राज्य पविान-मण्डल के ननवाषचनों के संचालन के शलये ननयुतत व्यस्तत"

भोपाल